भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.#1243

उत्तर देने की तारीख 29.07.2021

वन्य ग्रामों के लिए क्रियान्वित किए गए कार्यक्रम

1243 # श्री नीरज डांगी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश के जनजातीय क्षेत्रों विशेषत: वन्य ग्रामों और उनके निवासियों के लिए क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी निधि आवंटित, संस्वीकृत और जारी की गई तथा उक्त प्रयोजन के लिए संबंधित विभाग द्वारा उपयोग की गई निधि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार वन्य ग्रामों को राजस्व ग्रामों में उन्नत करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) और (ख) सरकार देश भर में जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी)/अजजा के विकास के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) लागू कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, नीति आयोग द्वारा 40 केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों को जनजातीय विकास के लिए एसटीसी निधियों के रूप में प्रति वर्ष उनके कुल योजना आवंटन का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करने के लिए बाध्य किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, पेयजल, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि संबंधी विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए उनकी योजनाओं के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा एसटीसी निधियां व्यय की जाती हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय संवेदनशील अंतरों को दूर करते हुए इन पहलों को परिवर्धक प्रदान करता है। जहां तक जनजातीय कार्य मंत्रालय का संबंध है, जनजातीय विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक पर दिया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन गांवों के निवासियों के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) को बढ़ाने तथा 2,474 वन गांवों / अधिवासों, जिन्हे देश के 12 राज्यों नामत: असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फैले कार्यक्रमों

के तहत शामिल किया गया था, में बुनियादी सुविधाएं तथा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वन गांवों के समेकित विकास के लिए एक बारगी उपाय के रुप में वर्ष 2005-06 से वन गांवों के विकास हेतु एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया था | इस कार्यक्रम में सम्पर्क सड़कें, स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, लघु-सिंचाई, वर्षा-जल संग्रहण, पेयजल, स्वच्छता, सामुदायिक हॉल आदि तथा आय सृजन से संबंधित गतिविधियों जैसी बुनियादी सेवाओं तथा सुविधाओं के संबंध में आधारिक संरचना कार्य शामिल थे | इस कार्यक्रम को 'जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता' के विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम के एक भाग के रुप में कार्यान्वित किया गया था और केवल वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक निधियां निर्मुक्त की गई थीं| वर्ष 2012-13 के दौरान तथा इससे आगे कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई है|

(ग) : सभी वन ग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित ग्रामों और वनों के अन्य ग्रामों के बसने और संपरिवर्तन के अधिकार, चाहे वे राजस्व ग्रामों में लेखबद्ध हों, अधिसूचित हों अथवा नही; अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में एफआरए) की धारा 3(1)(ज) के तहत वन निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी के वन अधिकारों में से एक अधिकार है। अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं।

'वन्य ग्रामों के लिए क्रियान्वित किए गए कार्यक्रम" के संबंध में श्री नीरज डांगी द्वारा दिनांक 29.07.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1243# के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

देश में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं / कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

(i) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के कार्यक्रम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले, 26 राज्यों को अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं । यह एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता, आदि के क्षेत्र में अवसंरचना कार्यकलापों में अंतर को भरने के लिए एसटी जनसंख्या की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर राज्य सरकारों को निधि निर्मुक्त की जाती है।

(ii) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को गुणवत्तापरक, माध्यमिक और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य के साथ विशेष रूप से गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1997-98 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की योजना शुरू की गई थी, ताकि उन्हें उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण का लाभ उठाने और सरकारी और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने में सक्षम बनाया जा सके। ईएमआरएस के महत्व को समझते हुए, 2018-19 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने घोषणा की कि "सरकार जनजातीय बच्चों को उनके वातावरण में सर्वोत्तम गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2022 तक, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय होगा। एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालयों के समतुल्य होंगे और इनमें खेल-कूद और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।"
यह संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान का एक घटक था। 2018-19 के दौरान, एक अलग योजना शुरू की गई थी। उक्त बजट घोषणा के संदर्भ में, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 17.12.18 को हुई अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ ईएमआरएस योजना में सुधार को मंजूरी दी।

(iii) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाली सहायता अनुदान की योजना के तहत, मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, मोबाइल डिस्पेंसरी, दस या अधिक बेड वाले अस्पताल आदि क्षेत्रों में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

(iv) कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना: स्कीम, देश में 54 चिह्नित जिलों जहां जनगणना 2001 के अनुसार अजजा की जनसंख्या 25% अथवा अधिक है तथा अजजा की महिला साक्षरता दर 35% या इसके अंशों से कम है, में विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए है | यह स्कीम स्वैच्छिक संगठनों / गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है तथा इसका लक्ष्य सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तरों में अंतर भरते हुए और शिक्षा हेतु आवश्यक वातावरण सृजित करके प्रारम्भिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को घटाते हुए जनजातीय बालिकाओं की साक्षरता दर में बढ़ोत्तरी करना है |

(v) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना उन छात्रों के लिए लागू है जो कक्षा IX - X में पढ़ रहे हैं। सभी स्रोतों से मातापिता की आय प्रतिव-र्ष रु लाख से कम 2.50होनी चाहिए। दिवा छात्रों के लिए प्रति माह रु -/225 .और छात्रावासी के लिए प्रति माह रु महीने की अवधि के लिए 10 एक वर्ष में -/525 . दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से वितरित की जाती है।/ पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर, जिसके लिए 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निधि पोषण अनुपात 75:25 है । बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केन्द्रीय शेयर है।

(vi) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रतिवर्ष रु. 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रति माह रु. 230 से रु. 1200 तक की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर, जिसके लिए 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निधि पोषण अनुपात 75:25 है । बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केन्द्रीय शेयर है।

(vii) विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति: योजना चयनित छात्रों को विदेश में पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हर साल कुल 20 अवॉर्ड दिए जाते हैं। इनमें से 17 अवॉर्ड अजजा के लिए और 3 पुरस्कार (अवार्ड) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित छात्रों के लिए हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता / परिवार की आय प्रतिवर्ष रु. 6.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(viii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति – (उच्च शिक्षा) स्कीम (स्नातक स्तर): योजना का उद्देश्य नामित शीर्ष 246 संस्थानों में डिग्री और पोस्ट डिग्री स्तर पर पढ़ाई करने के लिए मेधावी एसटी छात्रों को प्रोत्साहित करना है, जिनकी पैतृक आय प्रतिवर्ष रु. 6 लाख से अधिक नहीं है। छात्रवृत्ति राशि में ट्यूशन फीस, निर्वाह खर्च और पुस्तकों और कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ख) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति से संबंधित छात्रों को एम.फिल और पीएच.डी. जैसे उच्चतर अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। अध्येतावृत्ति यूजीसी मानदंडों के अनुसार स्वीकृत की जाती है। (वर्तमान में, जेआरएफ के लिए 25,000 / - रुपए और एसआरएफ के लिए 28,000 - रुपए)।

(ix) जनजातीय उप-स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए): जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की योजना के तहत अनुसूचित जनजाति (अजजा) की आबादी और अन्य लोगों के बीच अंतर को भरने के के लिए एक अंतरभरण उपाय के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, आजीविका, कौशल विकास, आश्रम स्कूल, बालक और बालिकाओं के छात्रावास, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी), लघु अवसंरचना आदि से संबंधित कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है।

(x) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) का विकास: पीवीटीजी के विकास की योजना में शिक्षा, आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशुपालन, सम्पर्क सड़कों के निर्माण, प्रकाश व्यवस्था के उद्देश्य से ऊर्जा के गैरपारंपरिक स्रोत की स्थापना-, सामाजिक सुरक्षा या पीवीटीजी के व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास-

के लिए अन्य नवीन कार्यकलापों जैसी गतिविधियों के लिए 18 राज्यों /अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र- में अनुसूचित जनजातियों के बीच 75 चिन्हित पीवीटीजी गतिविधियों के विकास की योजना है।

(xi) जनजातीय उत्पादों / उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता (केंद्रीय क्षेत्र की योजना): भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (अब बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002) के तहत वर्ष 1987 में स्थापित एक बहु-राज्य सहकारी समिति है, जो जनजातीय उत्पादों के लिए एक सेवा प्रदाता तथा बाजार विकासकर्ता दोनों के रूप में कार्य करता है। यह देश में 'ट्राइब्स इंडिया', के खुदरा दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन करता है। एक क्षमता निर्माता के रूप में, यह अनुसूचित जनजाति के कारीगरों और लघु वन उत्पाद (एमएफपी) संग्रहकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

(xii) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास: "**न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास** " की योजना का आरम्भ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों से संबंधित लोगों, जिनकी पूर्ण आजीविका एमएफपी के संग्रहण तथा एकत्रण पर निर्भर है को अपेक्षित सुरक्षा नेट और सहायता प्रदान कराने के लिए किया गया था।

(xiii) राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों (एनएसटीएफडीसी/ एसटीएफडीसीएस) को सहायता: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए 10.04.2001 में स्थापित एक शीर्ष संगठन है। निगम रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करता है।

(xiv) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता : मंत्रालय नई टीआरआई स्थापित करने, जहाँ यह मौजूद नहीं थे और अनुसंधान और प्रलेखन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत को बढ़ावा आदि के प्रति अपनी मुख्य जिम्मेदारी निभाने के लिए वर्तमान टीआरआई के कामकाज को मजबूत करने के लिए '**जनजातीय अनुसंधान संस्थानों** (टीआरआई) को सहायता' की योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को समर्थन प्रदान करता है ।

(xv) जनजातीय त्यौहार, अनुसंधान सूचना एवं जनशिक्षा: जनजातीय त्यौहार, अनुसंधान सूचना एवं जनशिक्षा' योजना के माध्यम से, समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, सूचना के प्रसार और जागरूकता के सृजन पर ध्यान दिया जाता है जिसमें जनजातीय शिल्प और खाद्य उत्सव, खेल, संगीत, नृत्य और चित्र प्रतियोगिता, विज्ञान, कला और शिल्प प्रदर्शनी, कार्यशालाएं, सेमिनार, मंत्रालय और राज्यों द्वारा वृत्तचित्र फिल्म बनाना, प्रकाशन प्रकाशित करना जिससे महत्वपूर्ण अध्ययनों पर प्रकाश डाला गया, जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक पहलुओं का दस्तावेजीकरण, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की उपलब्धियों और राज्य विभागों के अलावा नियमित अंतराल पर अन्य विज्ञापन आदि शामिल हैं। जनजातीय मुद्दों पर शोध अध्ययनों के अंतरों को भरने के दृष्टिकोण, जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रसिद्ध एनजीओ, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है जहां विशेषज्ञ मौजूद है और जिन्होंने पहले से ही जनजातीय संस्कृतियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में अग्रणी शोध को आगे बढ़ाते हुए एक छाप छोड़ी है।

*****